



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

No. 249]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2006/फाल्गुन 26, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2006/PHALGUNA 26, 1927

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2006

का.आ. 353(अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, भारत सरकार सुश्री सुशीला तिरिया द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के पद से दिए गए त्याग पत्र को 16 मार्च, 2006 से स्वीकार करती है।

[सं. 9-15/2005-डब्ल्यू.डब्ल्यू]

पारुल देवी दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2006

S.O. 353(E).—In pursuance of Sub-section (2) of Section 4 of the National Commission for Women Act, 1990, the Government of India accepts the resignation tendered by Ms. Sushila Tiriya as Member of the National Commission for Women with effect from 16th March, 2006.

[No. 9-15/2005-WW]

PARUL DEBI DAS, Jt. Secy.